न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 28/2020
जीसीएमएस नं. :: 2020/00289

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
औंकारसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी गॉव पोस्ट निम्बोल, तहसील जैतारण जिला पाली हाल निवासी मकान नं. 159, न्यू बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर		1. ग्राम पंचायत निम्बोल, पंचायत समिति जैतारण तहसील जैतारण, जिला पाली जरिये सरपंच/ग्राम सेवक 2. श्रवणसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी गाव पोस्ट निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला पाली

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से महावीर सिंह

–:: नि र्ण य ::–

दिनांकः– 25/8/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक/ग्रा.पं.नि./2019–20/11 दिनांक 22.5.2019 के द्वारा ग्राम पंचायत निम्बोल के पदीय हैसियत सरपंच द्वारा अशुद्ध कार्यवाही जारी किए गए अनापति प्रमाण पत्र व प्रक्रिया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पंचायत की पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकर्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना स्वामित्व अधिकार के और बिना कोई स्वामित्व दस्तावेज एक साधारण आवेदन दिनांक 28.12.2018 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत निम्बोल के समक्ष पेश किया कि मेरा पुराना मकान है जो जर्जर अवस्था में है इस पुश्तैनी मकान को गिरा कर पुनः मकान बनाना चाहता है मकान गढ के अन्दर आया हुआ है और मुझे पुनः मकान निर्माण अनापति प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करावे। इस प्रार्थना पत्र बाबत सरपंच ग्राम पंचायत निम्बोल श्री मदनसिंह जो अप्रार्थी संख्या 2 का मित्र व नजदिकी रिश्तेदार होने से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 के हक में अप्रार्थी संख्या 2 ने अनापति प्रमाण पत्र मकान निर्माण हेतु जारी कर दिया जो निरस्तनीय, अवैध व शुन्य होने से निरस्त फरमाया जावे अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व उक्त मकान का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय विलेख हेतु आवेदन नहीं किया गया प्रार्थी के नाम विक्रय विलेख ही बना हुआ नहीं है जबकि पुश्तैनी मकान होने से इसका विक्रय विलेख जारी कराना आवश्यक था ग्राम पंचायत विक्रय विलेख जो स्वामित्व का वैध दस्तावेज है उसके आधार पर ही नया मकान बनाने का अनुज्ञा पत्र जारी कर सकती है। अप्रार्थी संख्या 2 ने मालिकाना सबूत साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार का दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया है दस्तावेजों के अभाव में मकान निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाना विधीसम्मत नहीं है। मकान निर्माण की इजाजत देने का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो अविधिवत प्रक्रिया अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है मकान निर्माण हेतु अनापति प्रमाण [illegible] प्रावधान नहीं है सरपंच द्वारा एक आदेश जारी किया जिसमें तीन वा[illegible] मौका देखने के पश्चात ही जारी कर दिया गया है ज[illegible] राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्रदत प्रक्रिया अप[illegible] पंचायत में अदाक[illegible] किया जा सकता है जैर निगरानी आराजी का वि[illegible] विलेख भी नहीं है [illegible] एक प्रार्थना पत्र के आधार पर ही भवन निर्माण की अनापति जारी कर दी गई जो विधीसम्मत नहीं होने से निरस्त फरमाई जावे। क्योंकि मालिकाना दस्तावेज के अभाव में सीधा निर्माण ईजाजत देना विधीसम्मत नहीं है इस निगरानी में तो निर्माण बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

अनापति जारी की गई जो ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से खारिज फरमावें ग्राम पंचायत द्वारा अपने सभी निर्णय संकल्प लिया जाकर ही पारित किये जाने होते है। जेर निगरानी आपति बिना किसी संकल्प के पारित किए जारी की गई जो खारिज योग्य होने से निरस्त फरमाई जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा प्रार्थी को दस्तावेज दिनांक 16.9.2019 को उपलब्ध करा दिये थे जबकि निगरानी बाद में पेश की गई जो अवधि पार होने से निरस्त योग्य है अप्रार्थी संख्या 2 जिस मकान का निर्माण वह कराना चाहता है वह उसका पुश्तैनी मकान है इस हेतु उन्होंने लिखित गोदनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 को सुगन कंवर पत्नी गूदड़सिंह राजपूत उदावत के द्वारा रघुनाथ सिंह को गोद लिया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 रघुनाथसिंह जी का पुत्र है। मकान रघुनाथसिंहजी के पिता गुदड़सिंह जी का है तथा उनकी मृत्युपर्यन्त उनकी पत्नी सुगन कंवर ने उन्हें गोद लिया था इस प्रकार श्रवणसिंह की यह मकान पुश्तैनी सम्पति होने से मकान पुराना हो जाने से निर्माण हेतु अनापति लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत निम्बोल ने यह अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जिसे यथावत रखा जावे उक्त अनापति प्रमाण पत्र मकान का सरपंच साहब व अन्य तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर स्वामित्व की जांच कर अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जिसे यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पंचायत की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी संख्या 2 श्रवण सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत निम्बोल में पेश किया गया उसके संलग्न मकान के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजा संलग्न नहीं किए है विक्रय विलेख वगैरा किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नही किया गया। मात्र तीन वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट के आधार पर नए मकान निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जो विधीसम्मत नहीं है। अगर प्रार्थी का स्वयं का पुराना पुश्तैनी मकान है तो नियमानुसार विक्रय विलेख जारी करवा कर तत्पश्चात ही मकान निर्माण हेतु ईजाजत लेनी चाहिए थी न कि अनापति प्रमाण पत्र जारी कराना था। उक्त अनापति प्रमाण पत्र जिस नए मकान निर्माण बाबत जारी किया गया उसका स्वामित्व का दस्तावेज प्रार्थी के नाम का नहीं है न ही उक्त अनापति प्रमाण पत्र पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उसकी पालना में जारी किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा मकान निर्माण हेतु नियमों में निर्धारित शुल्क दस्तावेज आदि नहीं लिए गए न ही प्रक्रिया का पालन किया गया है निगरानी पेश करने हेतु म्याद नहीं है फिर भी 22.5.2019 को आपति जारी की गई एवं 20.11.2020 को यह निगरानी पेश कर दी गई। जिससे म्याद का बिन्दु निगरानी को प्रभावित नहीं करता है। एवं बिना पंचायत प्रस्ताव के बिना विक्रय विलेख अथवा स्वामित्व के दस्तावेज के मकान निर्माण हेतु ईजाजत के स्थान पर अनापति प्रमाण पत्र जारी करना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सरपंच ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा मकान निर्माण हेतु जारी अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक/ग्रा.प.नि./2019–20/11 दि[illegible].05.2019 को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली